भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000 बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 200059

→ किस्म दस्तावेज – बैनामा

→ भूमि का प्रकार – आवासीय

→ मोहल्ला – मौजा कलवारी (नारायण सिटी), तहसील व जिला आगरा

→ सम्पत्ति का विवरण – प्लाट संख्या 72, 78 मिन मुकला खसरा संख्या 111

→ मापन की इकाई – वर्गमीटर

सचिव
मजदूर सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

[illegible]

एस. पी. सिंह
[illegible]
कौशाम्बी [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000 TWENTY THOUSAND RUPEES

बीस हजार रुपये

Rs.20000

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 200058

→ सम्पत्ति का क्षेत्रफल –

प्लाट संख्या	क्षेत्रफल वर्गमीटर मे
72	106•25
78	106•25
कुल किता दो	कुल क्षेत्रफल 212•50

→ सड़क की स्थिति – 9 मीटर चौड़ी

→ अन्य विवरण – दो रोड हां

पार्क फेस नहीं

→ सम्पत्ति का प्रकार – रिक्त प्लाट जिस पर कोई निर्माण नही है ।

→ आच्छादित क्षेत्रफल – शून्य

[illegible]

सचिव

[illegible]

ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र सं. [illegible]

विक्रय पत्र

637,300.00 / 1,637,000.00 | 20,000.00 | 30 | 20,030.00 | 26

प्रतिफल मालियत | फीस रजिस्ट्री | नकल व प्रति शुल्क | योग | पृष्ठों की संख्या

श्री मुकेश कुमार अग्रवाल पार्टनर
पुत्र श्री [illegible] अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी [illegible] आगरा
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 31/3/2017 समय 1:59PM
बजे निबंधन हेतु पेश किया।

निबंधनकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
शिव कुमार
उपनिबन्धक द्वितीय
आगरा सदर
31/3/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता | क्रेता

श्री आशीष मंगल पार्टनर
पुत्र श्री राकेश मंगल
पेशा व्यापार
निवासी [illegible] आगरा

श्री मुकेश कुमार अग्रवाल पार्टनर
पुत्र श्री [illegible] अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी [illegible] आगरा

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता [illegible]
मुकेश कुमार [illegible]
पेशा व्यापार
निवासी [illegible] आगरा
व [illegible]
पेशा व्यापार
निवासी [illegible] आगरा
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

निबंधनकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
शिव कुमार
उपनिबन्धक द्वितीय
आगरा सदर
31/3/2017

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

200057

≈3≈

[illegible]
सहायक कोषाधिकारी
13 [illegible] 2017
कोषागार, आगरा

→ विक्रीत कीमत –	6,37,500/– रुपया
→ सरकारी मालियत –	16,36,250/– रुपया
→ सर्किल रेट –	7,000/– रुपया प्रति वर्गमीटर जो दर सूची के पेज नम्बर 19 पर दर्ज है। जिस पर दो रोड का दस प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यांकन किया गया है। उक्त प्लाट सर्किल रेट लिस्ट मे उल्लिखित किसी भी मुख्य मार्ग पर स्थित नही है।
→ स्टाम्प –	1,14,600/– रुपया

विक्रेता

Registration No.: 2028 Year: 2017 Book No.: 1

0101 आशीष [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

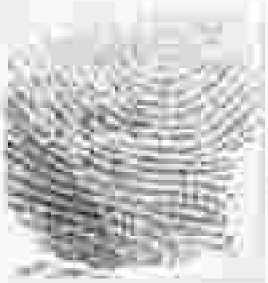

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 290056

सहायक कोषाधिकारी

10 FEB 2017

कोषागार, आगरा

➤ विक्रीत प्लाट संख्या 72 नाप व सीमायें इस प्रकार है –

दिशा	नाप	सीमा
पूरब	6•34 मीटर	सड़क 9 मीटर चौडी
पश्चिम	6•34 मीटर	प्लाट नम्बर 2
उत्तर	16•76 मीटर	सड़क 9 मीटर चौडी
दक्षिण	16•76 मीटर	प्लाट संख्या 73

विक्रीत प्लाट संख्या 78 नाप व सीमायें इस प्रकार है –

दिशा	नाप	सीमा
पूरब	6•34 मीटर	सड़क 9 मीटर चौडी
पश्चिम	6•34 मीटर	प्लाट नम्बर 1
उत्तर	16•76 मीटर	प्लाट नम्बर 77
दक्षिण	16•76 मीटर	सड़क 7•50 मीटर चौडी

➤ विक्रीत प्लाट संलग्न नक्शे मे रंग लाल से जाहिर किये गये है।

For NAARAYAN BUILDCON

Partner

एस. पी. सिंह

क्रेता

[illegible] : 2020 Year : 2017 Book No. : 1

0201 मुकेश कुमार अग्रवाल पार्टनर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

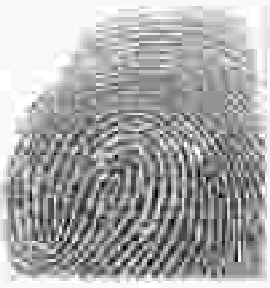

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 200055

≈5≈

→ प्रथमपक्ष की संख्या – एक विक्रेता का विवरण –

1– नवयुग सहकारी आवास समिति लि० आगरा निबन्धन संख्या 1129 दिनांक 31–03–1987 द्वारा सचिव आशीष मंगल पुत्र श्री राकेश मंगल निवासी बी–124, कमला नगर, शहर आगरा।

→ द्वितीयपक्ष की संख्या –एक क्रेता का विवरण –

1– नारायन बिल्डकॉन द्वारा पार्टनर मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सो लाल अग्रवाल कार्यालय पी–15, रमन टॉवर, संजय प्लेस शहर आगरा। (आयकर स्थाई लेखा संख्या – ए ए एल एफ एन 3388 सी)

–0–0–0–0–0–0–0–0–0–0–0–0–

सचिव
नवयुग सहकारी आवास समि०लि०
आगरा

For NARAYAN BUILDCON
Partner

गवाह

Registration No. 2026 Year: 2017 Book No.: 1

1 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

549257

डॉ० जावेद
प्रशासक कोषाधिकारी
10 JAN 2017
कोषागार, आगरा

≈6≈

विदित हो कि प्रथमपक्ष समिति ने उक्त वर्णित प्लाट को बयामूला दीगर जमीन सहित बजरिये तीन किता बैनामा प्रत्येक नविस्ता राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद प्रत्येक मौसूम प्रथमपक्ष समिति प्रथम बैनामा बही संख्या 1 जिल्द 65 सफा 341/352 नम्बर 38586 पर दिनांक 26-12-1989 व द्वितीय बैनामा बही संख्या 1 खण्ड 65 सफा 357/368 नम्बर 38588 पर दिनांक 26-12-1989 व तृतीय बैनामा बही संख्या 1 खण्ड 66 सफा 255/264 नम्बर 38585 पर दिनांक 27-12-1989 को कार्यालय उप निबन्धक आगरा के यहां लिखित दर्ज रजिस्टर्ड हुई है, के तन्हा खरीद की और कब्जा व दखल प्राप्त किया और मालिक व काबिज बनी ।

विदित हो कि इस प्रकार प्रथमपक्ष समिति उक्त प्लाटों की तन्हा मालिक स्वामी काबिज चली आती है कि जिसमें सिवाय प्रथमपक्ष के अन्य कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार कौशा किसी प्रकार का नहीं है और उक्त प्लाट प्रथमपक्ष की तरफ से आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण, विक्रय, दान, अमानत, सौदे, दावे, झगड़े, इक्यूटेबिल मोरगेज व हर प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों आदि से पाक व साफ है । जिसकी जमीन नजूल या राजकीय आसमान की सम्पत्ति नहीं है और न ही राज्य सरकार द्वारा किसी योजना में अधिग्रहित है और न कोई मुआयना प्रथमपक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है ।

सचिव
महेन्द्र सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

For NARAYAN BUILDCON
Partner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 956695

≈7≈

विदित हो कि विक्रेता समिति उ0प्र0 सहकारी समितियां अधिनियम सन 1965 के परिच्छेद 8 के अन्तर्गत आती है तथा उ0प्र0 सहकारी आवास संघ लि0 लखनऊ (एपेक्स कोआपरेटिव सोसाइटी) की विधिवत सदस्य है। उक्त प्लाट को उक्त क्रेता समिति से समिति के नियमानुसार प्राप्त करना चाहते है जिसकी बाबत मुख्य सचिव को बैनामा करने के अधिकार व समिति को विक्रय आदि के अधिकार विधिवत प्राप्त है।

लिहाजा विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दबाव किसी नाजायज के इन्द्रियो की ठीक दशा में उक्त वर्णित प्लाट नम्बर 72, 78 कुल क्षेत्रफल 212•50 वर्गमीटर मिन जुमला खसरा संख्या 111 वाके मौजा कलवारी (नारायन सिटी) तहसील व जिला आगरा को समिति के नियमानुसार समिति के द्वारा निर्धारित मूल्य 6,37,500/- छै लाख सैंतीस हजार पांच सौ रुपया कि आधे जिसके 3,18,750/- तीन लाख अठारह हजार सात सौ पचास रुपया होते है बदला नारायन बिल्डकॉन द्वारा पार्टनर मुकेश कुमार अग्रवाल उक्त क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में पूर्ण आधिपत्य व स्वामित्व व गुड टायटिल सहित बैय कराई किया और बेच दिया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

≈8≈

AV 956696

विदित हो कि द्वितीयपक्ष ने खसरा संख्या 111 उपरोक्त की जमीन का प्रथमपक्ष से सौदा करते समय वर्ष 2011 में एक चैक संख्या 683645 दिनांक 23–02–2011 तादादी 4,00,000/– चार लाख रुपया सिंडीकेट बैंक का प्रथमपक्ष समिति को अदा किया है इसलिये इस बैनामा में लेन देन पुरानी दिनांक के सर्किल रेट से हुआ है और अदा की गई धनराशि में से 40,192/– रुपया रुपया क्रेता द्वितीयपक्ष से बैनामा हाजा में समायोजित किया जिसका प्रथमपक्ष इकबाल करते है इस तरह पूर्व में अदा की गई 4,00,000/– रुपया की धनराशि में कोई भी धनराशि अब बकाया नही रही है व बाकी 5,97,308/– प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से निम्न विवरण के अनुसार प्राप्त कर लिया है –

चैक	दिनांक	तादादी	बैंक
170287	21–02–2017	2,00,000/–	सिंडीकेट बैंक, कमला नगर आगरा
नैफ्ट	22–02–2017	2,00,000/–	सिंडीकेट बैंक, कमला नगर आगरा
170289	01–03–2017	1,97,308/–	उक्त बैंक

इस तरह प्रथमपक्ष को बाबत कीमत अब द्वितीयपक्ष से कुछ पाना बाकी नही रहा और न आयंदा होगा ।

सचिव
[illegible] सहकारी आवास समिति [illegible]
आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

≈9≈

AV 956697

लिहाजा कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत प्लाट पर विक्रेता प्रथमपक्ष ने नालिक अपने क्रेता द्वितीयपक्ष का करा दिया और द्वितीयपक्ष को विक्रीत प्लाट का तन्हा मालिक व स्वामी बना दिया । अब क्रेता द्वितीयपक्ष को हक व अधिकार है कि वह विक्रीत प्लाट से समिति के नियमानुसार बहैसियत मालिक के चाहे जिस प्रकार लाभ उठावे, उसमें हस्ब मन्शा अपने चाहे जिस प्रकार निर्माण करावे और विक्रीत प्लाट को द्वितीयपक्ष रेहन, बैय व हिबे आदि जो चाहे सो करे और जरिये बैनामा हाजा अपने नाम का इन्द्राज कागजात सरकारी मे बहैसियत मालिक के दर्ज करा ले, प्रथमपक्ष विक्रेता अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते है ।

सचिव

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 956698

≈10≈

विदित हो कि खर्चा बैनामा हमारा क्रेता द्वितीयपक्ष ने वहन किया है। स्टाम्प एक्ट की धारा 27(1) के प्राविधान का पूर्ण पालन किया गया है।

For NAARAYAN BUILDCON

Partner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ≈11≈ X 180032

13

लिहाजा यह बैनामा हस्त हिदायतपक्षकारान के लिख दिया कि सनद रहे व वक्त पर काम आवे । तहरीर तारीख 23-03-2017 ई० ।

सचिव
मजदूर सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

For NAARAYAN BUILDCON
Partner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ≈12≈ CY 652316

पहचान अशोक कुमार गर्ग दस्तावेज लेखक सदर तहसील आगरा । दस्तावेज हस्ता पर तथा फोटो की शिनाख्त गवाहान ने की है ।

सचिव

Partner

आज दिनांक **31/03/2017** को

बही सं **1** जिल्द सं **12779**

पृष्ठ सं **309** से **334** पर क्रमांक **2026**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शिव कुमार

उपनिबन्धक द्वितीय

आगरा सदर

31/3/2017